



पत्र सं0 8वी / यू0सी0पी0 / 09 / 41 / 2020 / एफ0सी0 | 1210

दिनांक 22 / 09 / 2020

संख्या में,

अपर मुख्य सचिव (बन).

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

**विषय :** जनपद - टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत चम्बा नगर (पुर्नो) परियंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हेतु बन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, टिहरी को प्रत्यावर्तन।

**सन्दर्भ:** अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 393/ व-3-20/2(14)/2020 दिनांक 18.03.2020

नहात्य,

उपरायक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/WATER/41746/2019 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट कर, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर कन्द्र सरकार से बन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत रखीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकाशन में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाएं चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुसाराना अपर प्रमुख मुख्य बन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.09.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरात कन्द्र सरकार - जनपद - टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत चम्बा नगर (पुर्नो) परियंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.908 हेतु बन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, टिहरी को प्रत्यावर्तन विवें जाने की सैद्धान्तिक रखीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. बन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर यन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण का संघर्ष जाने के बाद ही यन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
  - (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1816 वर्गों का संपर्ण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्गों तक रखारखाव हेतु आवश्यक धनराशि (a CA rate for 1.816 ha area (वर्तमान दरों का समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जाएगी। जहां तक व्यावहारिक हो, राजनीय स्वदेशी प्रजातियों को लागता जाए तथा प्रजातियों की एकत्र प्लाटेशन से बचे। राज्य सरकार प्रयोक्ता को साथ क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
  - (ख) राज्य शासन द्वारा संपर्ण स्थल की KML file, coordinates, नक्शा, इत्यादि जानकारी इस कार्यालय को प्रदाय की जायेगी।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से बन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्गों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
  - (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.908 हेतु बन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
  - (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित बन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शापथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित बन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 10 trees including 4 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य बन विभाग के सञ्चाल पर्यावरण में काटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य बन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन कंबल ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से अतिपूरक वनीकरण काष प्रवधन और योजना प्राधिकरण कड़ में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
9. एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
11. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लो-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि पर कोई भी शामिक शिथिर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।
14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्त्तन वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
15. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
16. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्त्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
17. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
18. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्त लागू होंगी।
19. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वयोरिटेस्ट स्थलों पर इस प्रकार मतलब का निरस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तथा सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यावरण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निरस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु लीवारें बनाई जाएंगी। निरस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग का सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
20. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जलरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
21. अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी० सी० नौटियाल)  
उप महानिरीक्षक, वन (क०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जारवाग रोड, अलीगढ़, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर कारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्राली।

(टी० सी० नौटियाल)  
उप महानिरीक्षक, वन (क०)